उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

PDS Licence Cancellation Appeal No.-164/2023
शांति महिला विकास संघ
—बनाम—
राज्य (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
30/07/24	प्रस्तुत अनुज्ञप्ति रद्द अपील जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक—467/आ0, दिनांक 11.03.2023 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता शांति महिला विकास संघ अनुज्ञप्ति संख्या—03/2009, ग्राम—रूद, प्रखण्ड—ईचाक के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम—रूद, पंचायत—ईचाक, प्रखण्ड—ईचाक, जिला—हजारीबाग के अनुज्ञप्ति सं0—03/09 के अनुज्ञप्तिधारी हैं। ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के ज्ञापांक—2018/आ0, दिनांक 12.11.2022 से पणन पदाधिकारी, ईचाक से मामले की जांच करायी गयी जिसमें पणन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 97, दिनांक 27.11.2022 से समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायत के आलोक में पाये गये मुख्य बिन्दु जिसमें साक्ष्य के रूप में 50 से अधिक कार्डधारी है जिनका शिकायत प्रति माह राशन में प्रति यूनिट आधा किलो राशन की कटौती, माह सितम्बर का निःशुल्क राशन के वितरण में प्रति यूनिट एक किलो कम राशन देना जांच में सही पाया गया। माह सितम्बर एवं अक्टुबर का राशन वितरण हेतु समिति के द्वारा संचालित दुकान में शिकायतकर्त्ताओं के उपस्थिति में दुकान का वितरण संबंधी जानकारी लिया। दुकान में लगभग 10 महिला समिति सदस्य उपस्थिति थे। कार्डधारियों को नेटवर्क का समस्या से ऑनलाईन राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। दुकान के बाहर ट्रैक्टर में व्यवहार होने वाले हल, रोटर जैसे लोहे का भारी—भारी सामान रखा गया था जिससे कार्डधारियों को राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। दुकान जो छः फीट चौडाई तथा 15 फीट लम्बा है। जिसमें चावल गेहूँ रखा गया था तोलने का जगह भी नहीं बचा था। शेष बचे	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

हुए जगह में चावल को चार पांच बोरों से निकालकर जमीन पर रखा गया था और मिश्रीत कर कार्डधारियों को दिया जा रहा था। इस प्रकार राशन प्राप्त करने वालों में आक्रोश की भावना देखी गयी। उपस्थित कार्डधारियों के द्वारा यह प्रश्न उठाया कि हमलोग लिखित शिकायत आवेदन के विरूद्ध कि गई कार्रवाई के पश्चात ही अन्यत्र जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करेंगे। नेटवर्क की समस्या के साथ–साथ वेटिंग मशीन में हो रही समस्या से स्पष्ट होता है कि यह समूह राशन वितरण में पारदर्शिता नहीं ला सकते हैं साथ ही कार्डधारियों को राशन 15 दिनों तक भी नहीं दे सकते हैं जो बहुत बड़ी समस्या है। कार्डधारियों के द्वारा नमक वितरण में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी हजारीबाग द्वारा कार्यालय ज्ञापांक 2113/आ0, दिनांक 28.11.2022 के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिसका ससमय जवाब दाखिल नहीं किया गया। पुनः पत्रांक 2155/आ0, दिनांक 05.12.2022 से द्वितीय कारण पृच्छा करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए पत्रांक 467/आ0, दिनांक 11.03.2023 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता शांति महिला विकास संघ, अनुज्ञप्ति संख्या–03/09,ग्राम–रूद, ईचाक झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि दिनांक 17.02.2023 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ कारण पृच्छा दाखिल किया गया एवं कहा गया कि जो आरोप लगाये गये है वह बिलकूल ही गलत एवं बेबुनियाद है। जिन व्यक्तियों के द्वारा आरोप लगाये गये हैं वे शत्रुतापूर्ण हैं। जिसका जांच के क्रम में पूछताछ न तो अपीलकर्त्ता एवं उसके सहयोगियों की उपस्थिति में की गई और न ही उक्त पी0डी0एस0 दुकान के अन्य लाभार्थियों के समक्ष की गई।

अपीलार्थी का कहना है कि वे लोकल राजनीति का शिकार बनी हैं। शांति महिला संघ से कई महिलाएं जुड़ी है और वे पी0डी0एस0 दुकान के वितरण कार्य में लगी हुई हैं और प्राप्त कमीशन की राशि से अपने परिवार का

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

भरण–पोषण करती हैं और पीडीएस का कमीशन उनकी आय का एकमात्र स्रोत है।

अपीलार्थी का कथन है कि बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही अनुज्ञप्ति संख्या–03/2009 को रद्द कर दिया गया जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है । अंत में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना किया गया।

अपीलार्थी के उक्त कथन के प्रतिउत्तर में राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा पक्ष रखा गया कि अपीलार्थी के द्वारा राशन वितरण में अनिमितता बरती जाती है जो पणन पदाधिकारी, ईचाक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है।

उक्त सभी तथ्यों के समीक्षा के क्रम में प्रतीत हो रहा है कि दुकान संचालन के क्रम में कतिपय अनियमितताएं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बरती गई परिलक्षित होती है किन्तु पूर्व से इनके विरूद्ध कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है।

अतः उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश ज्ञापांक 467/आ0, दिनांक 11.03.2023 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति 10,000/रू0 जुर्माना अधिरोपित करते हुए इस चेतावनी के साथ बहाल किया जाता है कि भविष्य में वे इसकी पुनरावृति नहीं करेंगे और खाद्यान्न उठाव के पश्चात संबंधित पदाधिकारी को सूचित कर भंडार का भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात ही कार्डधारियों के बीच वितरण ससमय नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

उक्त विवेचन के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को निस्तारित किया जाता है।

निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस करें।

30/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

लेखापित एवं संशोधित

30/7/24

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.08.27 14:12:33 +05:30
Location: 192.168.1.40